राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1443–तीन /03 जिला –मुरैना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01.09.2015	आवेदक के अधिवक्ता श्री श्रीकृष्ण शर्मा कई पेशियों से अनुपस्थित है तथा आवेदक भी अनुपस्थित है । समय समय पर आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं । अतः प्रकरण अनुपस्थित होने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है ।	

TEN RUPEES FIVE RUPEES

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र० क्रमांक R 1443-III/03

पुन्ना पुत्र श्री गुरिया जाति कोरी निवासी ग्राम खेरा तोर तह० सबलगढ़ जिला मुरैना

---- आवेदक

बनाम

रविन्द्र सिंह पुत्र श्री महाराज सिंह जाति ठा० निवासी ग्राम खेरा तोर तह० सबलगढ़ जिला मुरैना ---- अनावेदक

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 2.8.03 न्यायालय श्रीमान आयुक्त महोदय चंबल संभाग मुरैना के प्र.क. 85-02-03 निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू रा. सं. 1959

======

श्रीमानजी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1- यह कि आवेदक ने अधी० न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय सबलगढ़ के प्र० क्र० 79-2000-2001 अपील में पारित आदेश दिनांक 31.12.2001 के विरुद्ध निगरानी न्यायालय आयुक्त महोदय चंबल संभाग के समक्ष जानकारी दिनांक से अन्दर अवधि दिनांक 15.7.02 प्रस्तुत की जो प्र० क्र० 85-02-03 निगरानी पंजीबद्ध की गई।

2- यह कि आवेदक के निगरानी के साथ धारा 5 अवधि विधान का आवेदन मय शपथ-पत्र के प्रस्तुत की आदेश दिनांक 2.8.03 द्वारा आवेदक की निगरानी के अवैध आधार पर अवधि बाध्य मानकर निरस्त कर दिया जिससे दुखित होकर यह निगरानी उक्त आधारों के अलावा